

रिपोर्ट पटवारी विहरी तहसील कुराब जिला उदयपुर

256, 431, 488 प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंगित राध्य राही है। ग्राम विहरी
खाता संख्या 108 मे प्रार्थी नम नाम पुष्कर सिंह पुत्र देवराज दर्ज है,
कि प्रार्थी के नाम सरकारी दरतायेजो मे राही नाम पुष्कर सिंह दर्ज है। खाते
दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपग्रह है। अतः ग्राम विहरी की खाता
या 431, 488 मे दर्ज नाम पुष्कर सिंह को बजाय सही इन्द्राज पुष्कर सिंह
दर्ज किया जाना उचित है।

भू अभिलेख निरीक्षक

विहरी
पटवारी
पटवारी विहरी
तहसील कुराब जिला-उदयपुर

कार्यालय तहसीलदार विहरी जिला उदयपुर

भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम विहरी
की जनाबन्दी की खाता संख्या 110, 111, 256, 431, 488 मे दर्ज नाम पुष्कर सिंह पुत्र देवराज
के बजाय सही नाम पुष्कर सिंह दर्ज किया जाना
है।

कुराब
तहसीलदार कुराब
जिला-उदयपुर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा जिला उदयपुर

कमांक/1216

दिनांक 17/3/26

आदेशः

प्रार्थी के प्रार्थना एवं तहसीलदार गिर्वा कुराब की रिपोर्ट एवं सलगन

तावेजों के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम

विहरी की जगाबन्दी की खाता संख्या 110, 111, 256, 431, 488 मे दर्ज नाम/इन्द्राज...

पुष्कर सिंह पुत्र के बजाय सही नाम/इन्द्राज पुष्कर सिंह

दर्ज करने की स्वीकृती प्रदान की जाती है। तहसीलदार कुराब आदेशानुसार
राजस्व रिकार्ड मे अगल दरागद कर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर